

184
2021

184 / 2021 2021 / 432

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

प्रपत्र-5

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बल्लोहरा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- श्री ज्योत्सना सोनी (RAS)

वादी

प्रतिवादी गण

जोगेन्द्र सिंह पुत्र राजू सिंह बनाम 1) बंकर सिंह पुत्र राजू सिंह
उनवान

दावा बाबत v/s 88 RTA 2) बहसीलदार पंचपदरा

मुकदमा नम्बर :-

निर्णय दिनांक :- 29/10/2021

वादी की ओर से जोगेन्द्र सिंह पुत्र राजू सिंह की व प्रतिवादी की ओर से बंकर सिंह व उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 29/10/2021 को श्री ज्योत्सना सोनी (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी, बल्लोहरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि - वादी के वाद को स्वीकार कर मौजा बोटाला

पुरोहितावत के खाला संख्या 87 रकबा 24-15 बीघा व मौजा चान्देसरा के खाला संख्या 77 रकबा 5 बीघा वाद ग्रस्त झाराजी के वादी का नाम जोगी सिंह के स्थान पर जोगेन्द्र सिंह पुत्र राजू सिंह घोषित किया जाता है। बहसीलदार पंचपदरा वदानुसार राजू सिंह के काले दस्तावेज को स्वीकार करें।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 29/10/2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई

(ज्योत्सना सोनी)

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर

